न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः—447/16

1. छोटेलाल पुत्र गुरूदयाल, जाति जाट, निवासी मनोहरपुर, पुलिस थाना बुहाना, जिला झुन्झुनू, राजस्थान रिटायर्ड आर्मी कर्मचारी।

——अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू।

——रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक 22.01.2019

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.06.2016 से असंतुष्ट होकर आर्म्स एक्ट की धारा 18 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि जिला मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू ने अपीलाधीन आदेश मनमाने रूप से आर्बीट्रेरी पास किया है तथा आदेश पारित करने से पूर्व प्राकृतिक न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों की अववहेलना करते हुये पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों को अवलोकन किये बिना ही अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। उन्होने यह भी कथन किया है कि जिला मजिस्ट्रेट, झुन्झुंनू ने अपीलाधीन आदेश न्यायिक सिद्धान्तों के खिलाफ बिना कोई कारण अंकित किये पारित किया है जिससे स्पष्ट है कि जिला मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू ने आदेश पारित करते समय आयुध अधिनियम 1959 व आयुध नियम 1962 में अंकित प्रावधानों की पालना नहो की व अपीलार्थी का शस्त्र लाईसेन्स को भी निरस्त फरमा दिया है जो कि कानून की दृष्टि से विधिक भूल करते हुये पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट रिटायर्ड आर्मी कर्मचारी है जिसके लाईसेन्स नम्बर 14460065 जीएनआर (जीडी) जलपाईगुडी से जारी किया हुआ है व बन्दूक 12 बोर एसबीबीएल नम्बर 1338/1983 है जिसको अपीलान्ट द्वारा देहरी गन हाउस जरिये बिल नम्बर 4350 दिनांक 02.07.1984 को 1810/—रूपये में क्रय की गई है व अपीलार्थी का उक्त लाईसेन्स दिनांक 31.12.2017 तक वैध था जिसकी अपीलान्ट ने जिला मजिस्ट्रेट झुन्झुनू के समक्ष प्रस्तुत की जिसको जिला मजिस्ट्रेट झुन्झुनू ने नजर अंदाज करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो निरस्तनीय है।

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थी के विरूद्ध एक प्रकरण संख्या 28/85 सरकार बनाम छोटेलाल अन्तर्गत धारा 336 भा.द.सं. के तहत पुलिस थाना बुहाना में दर्ज किया था जिसका निर्णय दिनांक 17.03.1989 को हो गया जिसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू द्वारा अभियुक्त छोटेलाल को बरी किया गया है जिसकी प्रति भी उक्त प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई थी परन्तु जिला मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू द्वारा उक्त अपीलाधीन निर्णय को भी नजर अन्दाज करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित कर विधि की भारी भूल की है इसलिये भी अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि जिला मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू ने अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाते समय अपनी विवेकाधीन शक्ति का कानून के विरूद्ध जाकर मनमाने रूप से प्रयोग करके अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जबकि विधि का यह स्थापित सिद्धान्त है कि कोई भी न्यायालय अथवा अधिकारी अपनी विवेकाधीन शक्तियों को उपयोग नकारात्मक रूप से नही कर सकता है जिस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय को अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। उन्होने प्रार्थना पत्र धारा 5 के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि प्रकरण में अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.06.2016 को पारित किया गया था किन्तु अपीलार्थी द्वारा अज्ञानतावश उक्त आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की कार्यवाही नही की गई जब अपीलार्थी को अपील पेश करने के अधिकार की जानकारी हुई तो उसके अविलम्ब अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर उन्हे अपील प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26.09.2016 को नियुक्त किया जिसके पश्चात् दुर्भाग्यवश अपीलार्थी के अधिवक्ता ब्रेन हेमरेज होने के कारण अत्याधिक बीमार हो गये तथा लम्बे समय तक अस्पताल में भर्ती रहे अब उनके द्वारा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर पुनः प्रेक्टिस पर आने के बाद अविलम्ब न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पेश की गई ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.06.2016 को अपास्त किया जावे और जिला मजिस्ट्रेट झुन्झुनू द्वारा अपीलान्ट के शस्त्र लाईसेन्स नम्बर 668/1984 को बहाल किया जाकर अपीलार्थी की जब्तशुदा 12 बोर बन्दुक व 4 जिन्दा कारतूस अपीलार्थी को दिलवाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुऐ विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलान्ट द्वारा न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू के निर्णय दिनांक 17.03.1989 की प्रमाणित प्रतिलिपि अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 30.03.16 को प्रस्तुत किया गया है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.06.16 पारित किया गया है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण उसे उचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.06.2016 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत दस्तावेजात प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर